



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.02.2025

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।

दहेज हत्या की घटना कारित करने करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.01.2025 को वादी श्री मधुवन यादव पुत्र गंगाप्रसाद निवासी कसदहा खुझिया थाना बसखारी जिला अम्बेडकरनगर द्वारा उनकी बेटी सुषमा के ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करने और उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने तथा दिनांक 21/01/2025 को ससुरालीजन द्वारा मिलकर उसकी पुत्री को मार कर लाश को नहर किनारे खेत में जला देने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर 029/2025 धारा 80(2)/85/238/3(5) बी.एन.एस तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 18.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद व वांछित अभियुक्त 1. कृष्णकान्त यादव उर्फ गोलू पुत्र रामऔतार यादव निवासी ग्राम बर्गा ठर्रा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 28 वर्ष को समय 12.30 बजे बिल्हौर रोड कांशीराम कालोनी, थाना रसूलाबाद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. कृष्णकान्त यादव उर्फ गोलू पुत्र रामऔतार यादव निवासी ग्राम बर्गा ठर्रा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 30नि0 श्री रवेन्द्र सिंह, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात
- का0 77 वीरप्पन थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात